न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 433/2022

निर्णय दिनांक :– 15/06/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. शंकरलाल पुत्र भंवरलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी कनवाड़ा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री बद्रीप्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 546 खसरा नम्बर 3955/2164 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम कनवाड़ा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ठ हो गई है। जिसके कारण मोक पर प्रार्थी एवं अड़ोस पड़ोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने के संभावना उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार

न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार दूनी क. नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः– ग्राम कनवाडत्रा के ख. नं. 2955/2164 रकबा 1.50 है0 भूमि आवेदक की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है एवं कब्जेकाश्त है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारो से कोई सीमा विवाद नहीं है। उक्त आराजीमयात पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। आवेदक की भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि है जिसकी खसरा संख्या 2164 रकबा 0.50 है0 एवं किस्म बारानी 3 है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि 2164 रकबा 0.50 है0 का अतिक्रमण मुक्त कर प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में अंकित खाता संख्या 546 खसरा नम्बर 3955/2164 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम कनवाड़ा तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी